रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112020-223005
CG-DL-E-09112020-223005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2020/ कार्तिक 18, 1942
No. 568] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2020/KARTIKA 18, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

संख्या 34/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 692(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और रूस (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "रबड़ के उपयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" (जिसे एतश्मिन पश्चात विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 नवम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 886 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/15/2020-डीजीटीआर, दिनांक 20 मई, 2020, जिसे दिनांक 20 मई, 2020

को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 नवम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 886 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 दिसम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फा. सं. 354/148/2020 –टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2020

No. 34/2020 -Customs (ADD)

G.S.R. 692(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/15/2020-DGTR, dated the 20th May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th May, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Carbon Black used in rubber applications' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from People's Republic of China and Russia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/2015-Customs (ADD), dated the 18th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 886(E), dated the 18th November, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2015-Customs (ADD), dated the 18th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 886(E), dated the 18th November, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/148/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.